

## खाद्य और औषधि

### 13-1 Hkj rh [k] l j{k vks ekud ckfekdj.k ¼Q, 1, 1 , vkbZz

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की रथापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में खाद्य वस्तुओं और विनियमित विनिर्माण, संसाधन वितरण और खाद्य के आयात और बिक्री के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने के लिए की गई है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पुष्टिकर खाद्य सुनिश्चित किया जा सके। इस अधिनियम का उद्देश्य बहुस्तरीय, बहु विभागीय नियंत्रण के बदले एक ही नियंत्रण में लाकर खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी मामलों के लिए एक संदर्भित बिंदु स्थापित करना है। विभिन्न अधिनियम और आदेश, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अब तक खाद्य संबंधी मुद्दों पर कार्रवाई करते हैं, उन्हें इस अधिनियम में एकीकृत किया गया है। नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के साथ एक विस्तृत समेकित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम बनाना पहले कदम था। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

### 13-1-1 , Q, 1 , 1 , vkbZdh xfrfof/k ka

#### 1- çorZ

j{k; k ea [k] l j{k grq fofu; e% एफएसएस अधिनियम, 2006 भारत में 5 अगस्त, 2011 से क्रियान्वित है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किए हैं, अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित

क्षेत्रों में अधिसूचित नामित अधिकारी, न्याय निर्णय अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिसूचित किए हैं। राज्य प्रयोगशालाएं एफएसएस अधिनियम, 2006 के अधीन अधिसूचित प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रही हैं और लोक विश्लेषकों को अब खाद्य विश्लेषक के रूप में पुनर्नामित किया गया है। वर्ष 2015–2016 के दौरान 3774 केन्द्रीय लाइसेंस, 1,01,687 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंस और 2,12,206 पंजीकरण किए गए हैं। जो खाद्य विपणन प्रचालक (एफबीओ) अधिनियम और इसके उपबंधों का उल्लंघन करते पाए गए, उनके खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर राज्यों ने उनके विरुद्ध सिविल और फौजदारी मुकदमें दायर किए हैं। 31.03.2015 तक केन्द्रीय परामर्श समिति की 13 बैठकें आयोजित की गई जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लेते हुए अपने मुद्दों पर चर्चा की। कुछ मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 7 प्रवर्तन कार्यकलापों के डाटा का सतत आधार पर समेकन और समीक्षा करना;
- 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपीलीय अधिकरण स्थापित किए गए;
- 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्टियरिंग समिति स्थापित की गई और
- 20.11.15 तक कुल 30 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाइव हो चुके हैं और 2015–15 के दौरान लाइसेंसिंग पंजीकरण (खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली) हेतु 6 ऑनलाइन हो गए हैं।

#### 2- fofu; e

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन यह

एफएसएसएआई का उत्तरदायित्व है कि वह खाद्य उत्पादों और खाद्य सुरक्षा के मानक निर्धारित करे और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करे। कई मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं और कई निर्धारित किए जाने अपेक्षित हैं।

एफएसएसएआई मौजूदा मानकों को कोडेक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में है। विभिन्न मानकों की अधिसूचनाओं की स्थिति नीचे दी गई है :

Ø- l a	mR kn@deKMVh dk uke	fLFkr
d-	<b>vfre vf/kl þuk t þj h</b>	
1.	तेल और वसा इमल्शन में ट्रांस फैटी एसिड के स्तर की अधिकतम सीमा 5%	04.08.2015 को अधिसूचित
2.	ब्रेड में ग्लूकोज ऑक्सीडेस, किपासे और जाइलानासे के मानक	04.11.2015 को अधिसूचित
3.	प्राकृतिक रूप से विषालुता मानक (एनओटीएस)	04.11.2015 को अधिसूचित
4.	पुलुलान मानक	04.11.2015 को अधिसूचित
5.	क्रोमियम में जिलेटिन मानक	04.11.2015 को अधिसूचित
6.	माइक्रोटॉक्सिन मानक	04.11.2015 को अधिसूचित
7.	ब्रेड में लेसिथिन मानक	13.11.2015 को अधिसूचित
8.	स्टेवियॉल ग्लाइकोसाइड्स मानक	13.11.2015 को अधिसूचित
9.	कार्मल और ग्लेजिंग एजेन्ट मानक	13.11.2015 को अधिसूचित
[k]	<b>el kþk vf/kl þuk t þj h</b>	
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक (भोजन वापसी प्रक्रिया) विनियम	22.04.2015 को अधिसूचित
2.	खाद्य सुरक्षा मानक (खाद्य अथवा स्वास्थ्यपूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहार प्रयोगार्थ खाद्य, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए खाद्य, कार्यात्मक खाद्य और अभिनव खाद्य) विनियम	30.07.2015 को अधिसूचित
3.	भारी धातु के लिए मानक	05.06.2015 को अधिसूचित
4.	ग्लूटेन और गैर-ग्लूटेन खाद्यों के लिए मानक	28.01.2015 को अधिसूचित
5.	फाइटोस्टेरॉल्स के लिए मानक	30.07.2015 को अधिसूचित
6.	ट्रांस फैट और क्लास टाइटिल की घोषणा	05.06.2015 को अधिसूचित
7.	सूखी और नमकयुक्त मछली के मानक	05.06.2015 को अधिसूचित
8.	दूध और दुग्ध उत्पादों में मैलामाइन मानक	05.06.2015 को अधिसूचित
9.	कतिपय खाद्य श्रेणियों में खाद्य योजक और वैयक्तिक खाद्य मदों में समानांतर मानकों का अनुकूलन	04.08.2015 को अधिसूचित
10.	मत्स्य और मत्स्य उत्पादों में बायोटॉक्सिन सीमा	12.6.2015 को अधिसूचित
11.	दूध और दुग्ध उत्पादों में माइक्रोबायोलॉजिकल मानक	30.07.2015 को अधिसूचित
12.	मांस और मांस उत्पादों में माइक्रोबायोलॉजिकल मानक	30.07.2015 को अधिसूचित
13.	सदस्यों के नियुक्ति के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय परामर्श समिति के कार्य-संब्यवहार की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015	04.11.2015 को अधिसूचित

### 3- fuxjkuh

30 जुलाई, 2015 को खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के साथ हुई चर्चा के अनुसार एक नई सुझाव सर्विलांस योजना विकसित की है। सर्विलांस प्लान की प्रति सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित की गई और उन्हें राज्यों में खाद्य सुरक्षा की सर्विलांस सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी दी जाएगी।

### 4- dklMol xfrfof/k; ka

भारत के कोडेक्स कंटेक्स्ट प्वाइंट अर्थात् नेशनल कोडेक्स प्वाइंट (एनसीसीपी) की स्थापना भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएआई) द्वारा की गई। प्रत्येक देश के एनसीसीपी कोडेक्स एलीमेंटेरियस से संबंधित मामलों हेतु कोडेक्स सचिवालय को सहयोग देते हैं।

कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (सीएसी) के अंतर्गत 26 एकिटव कोडेक्स समितियां हैं जो विभिन्न विषयों पर काम कर रही हैं। प्रत्येक समिति कार्य की प्रकृति और कार्यभार के अनुसार वर्ष में एक बार या फिर 18/24 महीनों में एक बार बैठक करती है।

एफएसएआई में प्रत्येक कोडेक्स समिति के समानांतर एक बिम्ब समिति (शेडो कमेटी) गठित की है जो कार्यसूची की मदों के अनुसार भारत की स्थिति को विकसित करती है। विभिन्न पण्धारी प्रत्येक समिति के प्रतिनिधि हैं जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और पशु पालन और डेयरी, मत्स्य विभाग जैसे विभिन्न मंत्रालयों से आते हैं। अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) और फेडरेशन ऑफ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) जैसे औद्योगिक संघ और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ/वैज्ञानिक भी इसके सदस्य हैं।

### I fefr dh foFHlu cBdlaeaçfrHfxrk o l e; ij fVli f. k laçLrqt djuk

खाद्य प्राधिकरण व संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य पण्धारियों ने अप्रैल, 2015 से अक्टूबर, 2015 तक निम्नलिखित कोडेक्स समितियों की बैठकों में सक्रिय भाग लिया:

Ø-1 a	dklMol I fefr	fnukd
1	कीटनाशक अवशिष्ट पर कोडेक्स समिति का 47वां सत्र (सीसीपीआर)	13 से 18 अप्रैल, 2015, बीजिंग, चीन
2	रेजीड्यूस ऑफ वेट्रीनरी ड्रग्स इन फूड (सीसीआरवीडीएफ) पर कोडेक्स समिति का 22वां सत्र	27 अप्रैल से 1 मई, 2015 सैन जोस, कोस्टा रीका
3	कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (सीएसी) का 38वां सत्र	6 से 11 जुलाई, 2015 जेनेवा, स्विट्जरलैण्ड
4	मसालों और रसोई जड़ी-बूटियां (कलीनरी हर्ब्स) (सीसीएससीएच) पर कोडेक्स समिति का दूसरा सत्र	14 से 18 सितम्बर, 2015 गोवा, भारत
5	ताजे फलों और सब्जियों पर कोडेक्स समिति का 19वां सत्र (सीसीएफएफवी)	5 से 9 अक्टूबर, 2015 इंग्सटापा, मेकिसको
6	मत्स्य और मत्स्य उत्पादों पर कोडेक्स समिति का 34वां सत्र (सीसीएफएफपी)	19 से 24 अक्टूबर, 2015 नॉर्वे

## u, dk ZçLrklo dk çLrqhdj.k

भारत ने मेंहदी, जीरा, अजवायन और बीडब्ल्यूजी काली मिर्च के 4 नए कार्य प्रस्तावों के लिए कोडेक्स मानक विकसित करने के लिए कोडेक्स समिति की मसालों और संगत जड़ी बूटियों के प्रथम सत्र में मसौदा (सीसीएससीएच) रखा। नए कार्य प्रस्तावों को समिति और सीएसी ने अंगीकार कर लिया था। बीडब्ल्यूजी काली मिर्च के मानकों का मसौदा 2/3 तथा जीरे और अजवायन के मानकों का मसौदा 5वें स्तर तक पहुंच गया है। भारत ने ताजा फलों और सब्जियों की कोडेक्स समिति के 18वें सत्र में बैंगन (ओब्रजाइन्स) के कोडेक्स मानक विकसित करने का मसौदा भी प्रस्तुत किया है जो अब सीएसी के अंतिम अंगीकरण के लिए 5/8 स्तर पर पहुंच चुका है।

इस वर्ष विभिन्न कोडेक्स समितियों में भारत ने निम्नलिखित मदों के संबंध में 4 नए कार्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:

- सूखे डीहाइड्रेटिड अदरक के कोडेक्स मानकों के लिए सीसीएससीएच के दूसरे सत्र में नया कार्य प्रस्ताव रखा है।
- सूखे डीहाइड्रेटिड लहसुन के कोडेक्स मानकों के लिए सीसीएससीएच के दूसरे सत्र में नया कार्य प्रस्ताव रखा है।
- सूखी डीहाइड्रेटिड मिर्च के कोडेक्स मानकों के लिए सीसीएससीएच के दूसरे सत्र में नया कार्य प्रस्ताव रखा है।
- खजूर पाम के कोडेक्स मानकों के लिए सीसीएफएफवी के 19वें सत्र में नया कार्य प्रस्ताव रखा है।

## byDVafud dk &l eg 1bMY; w hzeacfrHmxrk

विभिन्न कोडेक्स समितियों द्वारा गठित, भारत ने 6 इलैक्ट्रॉनिक कार्य—समूह (ईडब्ल्यूजी) में प्रतिभागिता की और विचाराधीन कार्यसूची पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

, f' k k dh , Q, vk@MY; wpvk s l elb; l fefr  
1 h h f' k k ds {ks-lr l elb; d ds rk ij Hkjr

भारत को सीएसी (2015) के 38वें सत्र के अंत से लेकर सीएसी (2017) के 40वें सत्र के अंत तक के लिए भारत

एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति में एक मत से क्षेत्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है।

## 13-2 vlsk/k, kaij fofu; led fu; a. k

केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य औषधि नियंत्रक देश में आयातित, विनिर्मित, वितरित एवं बेची जाने वाली औषधि, प्रसाधन सामग्रियों व चिकित्सा उपकरणों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंधों एवं औषधि एवं प्रसाधन नियम, 1945 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। देश में औषधों के विनिर्माण, बिक्री तथा वितरण को मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा विनियमित किया जाता है। जबकि देश में आयातित औषधियों और पहली बार आरंभ की गई औषधियों को सीडीएससीओ के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा औषधि विनियामक व्यवस्था का लक्ष्य सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तायुक्त औषधों, प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

### 13-2-1 dshk vlsk/k elud fu; a. k l aBu 1 hMh l l hkvk

भारतीय औषधि महानियंत्रक केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के अध्यक्ष हैं।

सीडीएससीओ का मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थित है, 6 क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई, गाजियाबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद में स्थित हैं तथा 3 उप क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलुरु, चंडीगढ़ और जम्मू में स्थित हैं और सीडीएससीओ के अधिसूचित प्रविष्टि पत्तन कार्यालय मुम्बई (समुद्री एवं वायु पत्तन), न्हावा शेवा (समुद्री पत्तन), कोलकाता (समुद्री व वायु पत्तन), चेन्नई (समुद्री व वायु पत्तन), हैदराबाद (वायु पत्तन), दिल्ली (वायु पत्तन), कोच्चि (समुद्री पत्तन), अहमदाबाद (वायु पत्तन), बैंगलुरु (वायु पत्तन) तथा गोवा (समुद्री व वायु पत्तन) में हैं।

### 13-2-2 dshk vlsk/k ijh{k k iz lk' kyk, a

सीडीएससीओ के अंतर्गत सात केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। ये कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, चंडीगढ़, कसौली व हैदराबाद में स्थित हैं। औषधों के परीक्षण के संबंध में विवाद के मामले में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता अपीलीय प्रयोगशाला है और

यह रसायन तथा जैविक जांचों के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है। केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, मुंबई एक सांविधिक प्रयोगशाला है जो पत्तनों से लिए गए औषधों के नमूनों, नई औषधों तथा ओरल गर्भनिरोधक गोलियों की जांच में संलग्न है। यह कॉपर टी-इंट्रायूट्रिन गर्भनिरोधक युक्ति और ट्यूबल रिंग के लिए अपीलीय प्रयोगशाला है। केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, चेन्नई कंडोम के लिए अपीलीय प्रयोगशाला है और यह रसायन तथा मैकेनिकल सेक्शन दोनों के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है। क्षेत्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, गुवाहाटी विशेषकर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों से प्राप्त औषधों के नमूनों की जांच करती है और यह रसायन तथा जैविक दोनों जांचों के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है। क्षेत्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, चंडीगढ़ सर्वेक्षण नमूनों के साथ-साथ औषध निरीक्षकों द्वारा भेजे गए नमूनों की जांच करती है।

13-2-3 1 hMh, 1 l hvks dk 1 q`<hdj.k

सरकार ने 2015–16 से 2017–18 के दौरान 900 करोड़ रुपए की लागत से सीडीएससीओ के सुदृढ़ीकरण के लिए एक योजना को अनुमोदन प्रदान किया है। योजना के संघटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 8 नए कार्यालयों के लिए नए भवन का निर्माण।
  - सीडीएससीओ के लिए 6 नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।
  - वायु और समुद्री पत्तन में 8 मिनी प्रयोगशालाओं की स्थापना।
  - मौजूदा 7 केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन।
  - एक पश्चिमण अकादमी की स्थापना।

ऊपर उल्लिखित संघटकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के विनियामक ढाँचे के अधिकारियों के साथ—साथ प्रयोगशाला कार्मिकों को प्रशिक्षण देना भी आरंभ किया है ताकि उनके कौशल को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त सीडीएससीओ कार्यालयों के आईएसओ प्रमाणन की प्रक्रिया को आरंभ किया गया है। सीडीएससीओ के अहमदाबाद, हैदराबाद स्थित जोनल कार्यालयों और चंडीगढ़ के उप-जोनल

कार्यालय को आईएसओ 9001:2008 के अनुकूल प्रमाणित किया गया है। सभी प्रयोगशालाओं के एनएबीएल प्रमाणन हेतु कार्बवाई भी आरंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सीडीएससीओ में संबंधित अधिकारियों के ज्ञान को अद्यतन करने तथा कौशल को निखारने के लिए डब्ल्यूएचओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सीडीएससीओ द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है।

d- vkskf/k i j xqloÿkk fu; æ.k

सीडीएससीओ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से देश में आयात की जाने वाली औषधि एवं प्रसाधन सामग्री की गुणवत्ता को विनियमित करता है। इसमें विदेशी विनिर्माण स्थलों और औषधि उत्पाद (थोक औषधियाँ और तैयार फार्मूलेशन्स) का पंजीकरण करना शामिल है। इन विनिर्माताओं से औषधि आयात के लिए भारतीय निर्यातकों को आयात लाइसेंस स्वीकृत किए जाते हैं जैसाकि नियमों में प्रावधान है। जब औषधियों का वास्तव में निर्यात किया जाता है तब आयातित औषधियों की गुणवत्ता को पत्तन कार्यालयों में दोबारा निरीक्षण किया जाता है।

वर्ष 2015–16 (30 नवंबर, 2015 तक) औषधि महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय ने औषधि विनिर्माताओं को 289 पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वीकृत किए हैं जिन्होंने भारत को अपनी औषधियाँ निर्यात करने की इच्छा जताई है। इसी अवधि के दौरान देश में ऐसी औषधियों के आयात के लिए फार्म 10 में 1924 लाइसेंस भी स्वीकृत किए गए हैं।

[k i ɻ k /ku l kexh dsvk kr i j xqlo Ÿkk fu; æ. k

देश में आयात किए जाने वाले प्रसाधन सामग्रियों का पंजीकरण 1 अप्रैल, 2013 से आरंभ किया गया था जिससे कि देश में आयात होने वाले उत्पाद, न केवल मानक गुणवत्ता के बल्कि प्रमाणिक/लाइसेंसीकृत विनिर्माताओं द्वारा उत्तम विनिर्माणकारी प्रक्रियाओं के तहत तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जा सके। इस प्रावधान से यह सुनिश्चित होगा की केवल प्रामाणिक और सुरक्षित प्रसाधन सामग्री को जन स्वास्थ्य सुरक्षा के हित में आयात करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। औषधि महानियंत्रक (भारत)

के कार्यालय ने वर्ष 2015-16 (30 नवंबर, 2015 तक) के दौरान 185 पंजीकरण प्रमाणपत्र और मौजूदा पंजीकरण प्रमाण-पत्रों में से 115 का पृष्ठांकन किया है।

#### x- vf/kl fpr fpfdR k mi dj. kl dk xqloYlk fu; æ. k

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा उपकरणों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत "औषधि" के तौर पर सीडीएससीओ द्वारा विनियमित किया जाता है। इन उपकरणों के गुणवत्ता नियंत्रण का विनियमन पंजीकरण और आयात लाइसेंस की व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है।

2015-16 (30 नवम्बर, 2015 तक) के दौरान औषधि महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय ने चिकित्सा उपकरणों के आयात और नैदानिक परीक्षण के लिए विभिन्न अनुमोदन और लाइसेंस जारी किए गए हैं। भारत को अपने चिकित्सा उपकरणों का निर्यात करने को इच्छुक चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माताओं को 294 पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इसी अवधि के दौरान देश में चिकित्सा उपकरणों के आयात के लिए फार्म 10 में 795 लाइसेंस भी प्रदान किए गए। परीक्षण और विश्लेषण के लिए चिकित्सा उपकरणों के आयात के लिए 92 लाइसेंस प्रदान किए गए। 4 मामलों में चिकित्सा उपकरणों पर नैदानिक परीक्षण हेतु अनुमति भी प्रदान की गई थी।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के तहत केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण (सीएलएए) के रूप में औषधि महानियंत्रक (भारत)द्वारा अधिसूचित उपकरणों के विनिर्माण को अनुमोदित किया जाता है। 2015-16 (30 नवम्बर, 2015 तक) के दौरान औषधि महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय द्वारा चिकित्सा युक्ति के विनिर्माण के लिए 94 मामलों में सीएलएए अनुमोदन प्रदान किए।

#### ?k nsk eauZvlskf/k, k adks 'lq djus ds fy, vuqfr i nku djuk

देश में विपणन की जाने वाली नई औषधियों की अनुमति भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा यह सुनिश्चित करने

के बाद प्रदान की जाती है कि ये सुरक्षित हैं और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली की आवश्यकता के अनुरूप प्रभावकारी और उनके अनुरूप हैं। देश में विपणन की अनुमति दिए जाने से पूर्व आवेदक को सुरक्षा और प्रभावकारिता के संबंध में तकनीकी आंकड़े उपलब्ध कराने होते हैं। आवेदनों की जांच इस उद्देश्य के लिए गठित नई औषधि परामर्शदाता समिति के परामर्श से की जाती है।

वर्ष 2015-16 (30 नवम्बर, 2015 तक) के दौरान 8 नई औषधियों को उनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता की जांच के बाद अनुमोदन प्रदान किया गया था। 8 मामलों में रीकोम्बिनेन्ट डीएनए उत्पादों के विनिर्माण और विपणन के लिए अनुमति प्रदान की गई थी और इसी अवधि में 5 मामलों में आयात और विपणन की अनुमति प्रदान की गई थी।

#### M udkfud ijhlk k

नई औषधियों का नैदानिक परीक्षण, उनकी निरापदता तथा/अथवा प्रभावोत्पादकता का निर्धारण करने के उद्देश्य से नैदानिक, फार्माकोलॉजिकल (फार्माकोडायनमिक्स/फार्माकोकिनेटिक्स सहित) तथा/या प्रतिकूल प्रभावों का पता लगाने या सत्यापन करने के लिए मानवों पर किया जाता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अंतर्गत नैदानिक जांच या किसी नैदानिक प्रयोगों के लिए किसी नई औषधि के नैदानिक परीक्षण औषधि महानियंत्रक (भारत) द्वारा प्रदत्त अनुमति के अधीन व अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

वर्तमान प्रक्रिया के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में तकनीकी समिति द्वारा नैदानिक परीक्षणों के आवेदनों की जांच की जाती है और देश में नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति प्रदान करने से पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 (30 नवम्बर, 2015 तक) के दौरान 18 मामलों में नई औषधियों का नैदानिक परीक्षण करने हेतु औषधि महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी।

नई औषधियों के अनुमोदन के मामले में, 19 मामलों को विनिर्माण अनुमति प्रदान की गई थी और 5 मामलों में नई औषधियों की आयात की अनुमति प्रदान की गई थी। 16 मामलों में नैदानिक परीक्षण हेतु अनुमति प्रदान की गई थी और 13 मामलों में परीक्षण व विश्लेषण हेतु औषधियों के आयात के लिए परीक्षण लाइसेंस प्रदान किए गए थे।

इस बात का अध्ययन करने के लिए रासायनिक दृष्टि से समान औषधि फार्मूलेशन की औषधियों में जैवतुल्यता अध्ययन करने हेतु अनुमति भी दी जाती है कि उनसे रोगियों में समान थेराप्युटिक अनुक्रिया उत्पन्न होती है या नहीं।

### p- jä cld

केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में औषधि महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के तहत रक्त बैंकों के लिए लाइसेंस भी दिए जाते हैं। वर्ष 2015-16 (30 नवम्बर, 2015 तक) के दौरान 130 मामलों में नए लाइसेंस दिए गए, जबकि 35 मामलों में मौजूदा लाइसेंसों पर पृष्ठांकन जारी किए गए और 314 मामलों में नवीकरण प्रमाण-पत्रों को अनुमोदन जारी किए गए थे।

### 13-2-4 o"lk2015 eaiHr mi yfCk kavkj dh xbZ i gya

### d- l Hm l l hvksab'kl u dk 'lkj lk

औषधि विनियामक प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावकारिता लाने के लिए चरणवार ढंग से, औषधि और प्रसाधन सामग्री, 1945 के तहत लाइसेंसिंग प्रणाली हेतु सीडीएससीओ में ई-शासन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

स्वारश्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधियों के साथ-साथ अधिसूचित चिकित्सा उपकरणों के आयात और पंजीकरण तथा व्यक्तिगत उपयोग हेतु औषधियों की कम मात्रा के आयात के लिए अनुमति हेतु आवेदनों को निपटाने के लिए 14.11.2015 को [www.cdscoonline.gov.in](http://www.cdscoonline.gov.in) पोर्टल तथा ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली "सुगम" का शुभारंभ किया गया। देश में नैदानिक परीक्षणों के

लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए आईटी सक्षम साप्टवेयर का भी आरंभ किया गया और <http://otcams.gov.in> पोर्टल के माध्यम से पण्धारकों को उपलब्ध कराया गया। तथापि, हार्ड कापी के माध्यम से आवेदन जमा करने की नियमित प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण प्रचालन आरंभ नहीं हो जाता है। समग्र डाटाबेस के रख-रखाव और नैदानिक परीक्षण की निगरानी के लिए प्रणाली नैदानिक परीक्षण पर विविध सूचना भी प्राप्त करेगी। यह परीक्षणाधीन व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा और कल्याण तथा सृजित आंकड़ों की विश्वसनीयता में मदद करेगी।

### [k i Rrukij Q kik dks l qe cukuk

स्मुद्री पत्तनों/वायुपत्तनों के केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) कार्यालयों को 24X7 आधार पर कार्यशील किया गया है। आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने के लिए आकड़ों के अपेक्षा हेतु जांच सूची, प्रविष्ट बिल और शिपिंग बिलों का निपटान अब एक प्रवेश बिन्दु के माध्यम से होगा।

### x- jkVt vlo'; d vksf/k l ph ¼u, ybz e½ 2011 dk l akku

पूर्व सचिव, स्वारश्य अनुसंधान विभाग और महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, डॉ. वी.एम.कटोच की अध्यक्षता वाली कोर समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (एनएलईएम) का संशोधन किया गया है।

### ?k vksf/k vks i l klku l kexh fu; eloyl 1945 ds rgr QlbVlQkclZ; fWdy vksf/k, k dk fofu; e

फाइटोफार्मस्यूटिकल औषधियों अर्थात् पादप आधारित थेराप्युटिक उत्पादों को इसके कार्यक्षेत्र में शामिल करने के लिए दिनांक 30.11.2015 के जीएसआर 918 (अ) द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 को संशोधित किया गया है। यह विशिष्ट संकेतकों हेतु आधुनिक औषधियों की तर्ज पर उनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता के अनुमोदन के बाद पादप आधारित औषधियों की उपलब्धता

और परम्परागत पद्धति का रोगियों को लाभ मिलना सुनिश्चित करेगी। यह आधुनिक तरीके से इन उत्पादों के अनुसंधान और विकास की नई सीमाएं भी खोलेगा ताकि इन परम्परागत औषधियों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल सके।

### 13-3 भारतीय फार्माकोपिया आयोग को मानदंडों की आधिकारिक और प्रामाणिक पुस्तक, भारतीय फार्माकोपिया को समय-समय पर प्रकाशित करना अनिवार्य है।

दिनांक 14.11.2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड़डा और जनरल डॉ. वी.के. सिंह, (सेवानिवृत्त) राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय और सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा आईपी-2014 का आईपी परिशिष्ट-2016 जारी किया गया। 4.11.2015 को आईपीसी, गाजियाबाद के दौरे के दौरान आईपीसी के परिसर में एडवांस लेवल रिसर्च सेन्टर के निर्माण की आधारशीला रखी। इस पुस्तक को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकाशित किया जाता

है। उक्त पुस्तक में भारत में उत्पादित और/अथवा विपणन किए गए औषधियों के मानक निर्धारित किए जाते हैं जिससे कि औषधियों की गुणवत्ता के नियंत्रण और आश्वासन में सहायता होती है। इस फार्माकोपिया के मानक अधिकारिक हैं तथा कानूनी रूप से लागू करने के योग्य हैं। इसका उद्देश्य औषधियों के विनिर्माण का लाइसेंस देने, निरीक्षण तथा वितरण करने में सहायता करना है। पण्धारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आयोग तेजी कार्य कर रहा है तथा आईपी 2014 के संशोधनों का ध्यान रखा गया है तथा इसमें 64 नए केमिकल मोनोग्राफ, 14 हर्बल मोनोग्राफ, 03 मानव उपयोग हेतु टीका और इम्यूनसीरा और 03 रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ, 01 रक्त संबंधी उत्पाद, 04 जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद मोनोग्राफ और इस परिशिष्ट में 02 सामान्य अध्यायों सहित 89 नए मोनोग्राफ को भी शामिल किया गया है। ऐसी आशा है कि परिशिष्ट 2016 औषधियों की गुणवत्ता में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिसके परिणामस्वरूप अपने देश के फार्मा क्षेत्र की वृद्धि और विकास में तेजी आएगी और जन-स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा।



श्री जगत प्रकाश नड़डा, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा जनरल डॉ.के. सिंह (सेवानिवृत्त), विदेश और प्रवासी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आईपी परिशिष्ट 2016 से आई पी-2014 का विमोचन करते हुए।

**Hkj rh; vlsf/kdkk l nHzl lexh ¼vbkZhvkj, 1 ½**  
भारतीय औषधिकोष आयोग ने 85 नए आईपी संदर्भ पदार्थों का विकास और सत्यापन किया है। भागीदारों को कुल 466 आईपीआरएस उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय औषधिकोष आयोग ने इन-हाउस सिंथेसिस द्वारा 20 नई अशुद्धताओं (इम्पोरिटीज) का विकास किया और पणधारकों को कुल 30 नई संदर्भ अशुद्धियों उपलब्ध कराई गई हैं। आईपीसी भारतीय औषधि कोष संदर्भ मानकों को तैयार प्रमाणित और वितरित कर रही है जिससे दीर्घावधि में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जो जीवन रक्षक औषधियों के संदर्भ मानक को आयात करने पर खर्च करने को देश मजबूर होता है। आईपीसी पहली बार आईपीआरएस अशुद्धताओं को लेकर सामने आया है, जिससे और राजस्व के सृजन में मदद मिलेगी और विदेशी मुद्रा भी बचेगी।

वर्ष के दौरान, भारतीय औषधिकोष आयोग अतिरिक्त 24 आईपीआरएस और 22 अशुद्धता मानकों को लाने में सफल रहा था। वानस्पतिक संदर्भ मानकों के तौर पर विकसित किए जाने के लिए 20 नए वानस्पतिक संदर्भ मानक प्रक्रियाधीन हैं। फाइटो संदर्भ मानकों के तौर पर विकसित किए जाने के लिए 28 नए फाइटोफार्मास्यूटिकल संदर्भ मानक प्रक्रियाधीन हैं। आयोग ने अत्याधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों की प्राप्ति की है क्योंकि ये औषधियों की क्षमता, प्रभावकारिता और गुणवत्ता के अन्तरराष्ट्रीय मानकों का अनुसरण करने के लिए आवश्यक हैं।

इस अवधि के दौरान, सत्यापन हेतु भारतीय औषधि महानियंत्रक के कार्यालय से 35 नई औषधियों के नमूने प्राप्त किए गए थे और 34 नई औषधियों के नमूने रिपोर्ट किए गए थे। विश्लेषण हेतु कुल 50 पत्तन नमूने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), को प्राप्त हुए थे जिनमें से 40 नमूनों की रिपोर्ट संबंधित सीडीएससीओ कार्यालयों को सौंप दी गई थी। 3443 सर्वेक्षण नमूनों का एकेएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विश्लेषण किया गया था और उनकी रिपोर्ट बनाई गई थी।

भारतीय औषधिकोष प्रयोगशाला के संदर्भ पदार्थ प्रभाग (आरएसडी) ने 87.84 लाख रुपए के 2928 आईपीआरएस

वायल तथा 4.44 लाख रुपए के 111 अशुद्धिता मानक वितरित किए/बेचे गए।

इसके अतिरिक्त 8.64 लाख रुपए के आईपीआरएस के 288 वायल और 0.88 लाख रुपए के 22 अशुद्धि वायल की निःशुल्क रूप से सरकारी प्राधिकरणों को आपूर्ति की गई थी।

### **Hkj rh; jkVh; Qlezyjh ¼u, QvbZz**

वर्ष 2015 में आयोग एनएफआई का 5वाँ संस्करण प्रकाशित हुआ। पुस्तक को 14.11.2015 को स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा जारी किया गया था। कई नए अध्यायों, परिशिष्टों, संबंधित अध्यायों और संशोधित परिशिष्ट तथा सभी अध्यायों में प्रस्तावना को शामिल किया गया है। संभावना है कि इसमें 32 अध्याय और 450 से अधिक मोनोग्राफ होंगे। प्रिंट-पूर्व संस्करण पर प्राप्त की गई टिप्पणियों की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी और बाद में अंतिम प्रिंट संस्करण में उन्हें शामिल किया जाएगा। आयोग जेनेरिक औषधियों के युक्तिसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय फार्मूलेरी के 5वें संस्करण संदर्भ पुस्तक वलीनिशियन, फार्मासिस्ट और नर्सों के उपयोग हेतु है।

### **Hkj rh; QleZlksoft yd dk, De ¼ holi hvbkZz**

स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी.नड्डा ने “अंतर्राष्ट्रीय औषधि निगरानी हेतु डब्ल्यूएचओ कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस केन्द्रों की 38वीं वार्षिक बैठक” का उद्घाटन किया, जिसे डब्ल्यूएचओ के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस बैठक की मेजबानी आईपीसी भारत के राष्ट्रीय समन्वय केन्द्र फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम, स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और देश के डब्ल्यूएचओ कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इस बैठक में फार्माकोविजिलेंस के संबंध में विभिन्न मदों पर विचार-विमर्श करने और डब्ल्यूएचओ की उपयुक्त सिफारिशों करने के लिए भाग लेने वाले 57 देशों के 150 विदेशी भागीदारों ने भाग लिया।

इस बैठक के एक महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में आईपीसी

को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में औषधियों और टीकों की सुरक्षा हेतु पहले डब्ल्यूएचओ समन्वयन केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

### 13-4 vlskf/k nq Z u fuokj.k dk Zhe ½Mh i h½

भारत के संविधान के अनुच्छेद-47 में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य मादक पेय और औषधियों का उपभोग, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं, के निषेध के लिए प्रयास करेंगे। देश में औषधि उपयोग से संबंधित समस्याओं में कमी लाने के लिए क्रियाकलापों को व्यापक रूप से दो भागों, आपूर्ति में कमी और मांग में कमी में विभाजित किया जा सकता है। आपूर्ति में कमी संबंधी क्रियाकलाप, जिसका उद्देश्य देश में गैर-कानूनी औषधियों की उपलब्धता में कमी लाना है, गृह मंत्रालय के तहत स्वापक नियंत्रण व्यूरो और स्वापक और साइकोट्रॉपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रशासक के तौर पर राजस्व विभाग और स्वापक औषधि व साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध व्यापार की रोकथाम के तहत आते हैं। मांग में कमी लाने वाले क्रियाकलापों से नशीली दवा का उपभोग करने वाले रोगियों में जागरूकता निर्माण, उपचार तथा पुनर्वास पर बल दिया जाता है। ये क्रियाकलाप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नोडल मंत्रालय के तौर पर तथा कुछ हद तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में चयनित केन्द्र सरकार के चयनित अस्पतालों/संस्थानों और पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में पोस्ट अब्यूज उपचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करके एक सीमित औषधि दुर्योग सरकारी कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय नोडल केन्द्र नामतः “राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केन्द्र, एनडीडीटीसी” गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के अंतर्गत स्थापित किया गया है। एनडीडीटीसी को मंत्रालय से नियमित रूप से वार्षिक आवर्ती अनुदान प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम के तहत, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ और

एनआईएमएचएनएस, बैंगलोर नियमित रूप से वार्षिक आवर्ती वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले अन्य संस्थान हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य केवल मरीजों को नशा-मुक्ति और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना ही नहीं है बल्कि ये केन्द्र अनुसंधान कार्य करना और नशा-मुक्ति के क्षेत्रों में चिकित्सा डॉक्टरों को प्रशिक्षण प्रदान करना भी है।

### 13-5 jkVñ vlskf/k fuHñrk mi pkj dñhz ½uMñMñh hñ vf[ky Hñj rñ vk foKku l fñku] ubZfnYyh

राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केन्द्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय संघ राष्ट्र औषधि और अपराध पर यूएन कार्यालय (यूएनओडीसी), डब्ल्यूएचओ (भारत) और डब्ल्यूएचओ, एसईआरओ, के एकराष्ट्रीय संस्थान केन्द्र के कार्यों के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से जुड़े हुए हैं। केन्द्र की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और नेतृत्व को स्वीकार करते हुए अव्यस्थित पदार्थ के उपयोग पर इस केन्द्र को डब्ल्यूएचओ को सहयोगी केन्द्र के रूप में घोषित कर रखा है। इस केन्द्र को एड्स, क्षय और मलेरिया के चरण-9 का मुकाबला करने के लिए ग्लोबल फंड द्वारा, यूएनसीओडीसी और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की ओर से क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र के रूप में नामित किया गया है।

इस केन्द्र में 50 बैड हैं तथा ये केन्द्र औषधि पर निर्भर व्यक्तियों और चल रहे तीन विशेषज्ञता क्लीनिक तम्बाकू के उपयोग से मुक्ति, किशोरों में ड्रग्स का उपयोग तथा दोहरा निदान (अव्यस्थित पदार्थ का उपयोग और मानसिक बीमारी की समस्या से ग्रस्त रोगी) के लिए बाहरी रोगी और आंतरिक रोगी सेवाओं के माध्यम से चिकित्सीय देखभाल करता है। वर्तमान में, यह केन्द्र दो शहरी मिलिन बस्तियों—पूर्वी—दिल्ली में त्रिलोकपुरी और सुन्दर नगरी में दो सामुदायिक केन्द्र चला रहा है।

इस केन्द्र में उचार के लिए चिकित्सा कार्यकलाप, सामूहिक और व्यक्तिगत मनोचिकित्सा सत्र और पारिवारिक परामर्श जैसे विभिन्न तरीके अपनाये जा रहे हैं। अधिक लचीलापन

और समय बढ़ाते हुए दीर्घ काल तक औषधि वितरण पर्यवेक्षण के माध्यम से अस्पताल में अल्प अविधि तक ठहरने, थैरेपी सार को बढ़ावा देने, उपचार अनुपालन में सुधार के प्रयास किये गये हैं। यह उपचार कार्यक्रम और उनके काम पर ध्यान देने तथा काम छोड़ बिना अस्पताल की रिपोर्ट में रोगियों को बने रहने में सक्षम बनाता है। फॉर्मॉकोथैरेपी की पसंद अर्थात् निःशुल्क वितरण के लिए दीर्घ—कालीन औषधि का भी विस्तार किया गया है।

01.04.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान ओपीडी में कुल 75,297 मरीज देखे गये थे उनमें से 4,945 नये मामले थे और 70,352 पुराने मामले थे तथा उनमें से 775 व्यक्तियों को वॉर्ड में भर्ती किया गया था।

“मादक द्रव्यों के सेवन और निर्भरता प्रबंधन” पर जिला अस्पतालों में कार्य करने वाले 104 गैर—विशेषज्ञ चिकित्सा डॉक्टरों के लिए नौ भवनों का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गये धन देश छः संस्थानों के केन्द्रों में समन्वय और आयोजन किये गये। भूटान, नेपाल और बंगलादेश के स्वास्थ्य व्यवसायिकों को प्रशिक्षण दिया गया। केन्द्र में ओपीआईओडी प्रतिस्थापन उपचार (ओएसटी) प्रदान करने हेतु चिकित्सा डॉक्टरों, नर्सों, कार्यक्रम प्रबंधकों, परामर्श कों, डाटा प्रबंधकों, एनजीओ स्टॉफ जैसी कई श्रेणियों के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केन्द्र के संकाय ने विभिन्न सर्वेक्षणों में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया और अन्य देशों और भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ), चाइल्ड लाइन, इंडिया आदि जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। बच्चों में दवा की लत के उपचार के लिए सेवा प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने में केन्द्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

यह केन्द्र सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही राष्ट्रीय नीति की जानकारी प्रदान करता है। एनडीपीएस नीति में संशोधन हेतु वित्त मंत्रालय को भी इनपुट दिये गये थे। शिक्षकों ने राष्ट्रीय दवा नशा मुक्ति सेवाएं, मादक पदार्थों के सेवन हेतु राष्ट्रीय मास्टर प्लॉन, तैयार करने राष्ट्रीय भवन क्षमता तकनीक पर कार्यरत राष्ट्रीय समूह के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के रूप में महत्वपूर्ण नीति योजना मुद्दों पर योगदान दिया है।

शिक्षकों ने एनएसीओ के आईडीयू तकनीकी संसाधन समूह और एनसीपीसीआर द्वारा तैयार की गई शिशुओं में नशे की लत पर विशेषज्ञ समिति में विशेषज्ञों के रूप में योगदान दिया है।

एनडीडीटीसी तरीकों पर डाटा बनाने के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग की मॉनिटरिंग प्रणाली के आयोजन पर लगातार कार्य कर रहा है और 122 नशा मुक्ति केन्द्रों में उपचार कराने वाले नये व्यक्तियों की प्रोफाइल एकत्रित और समेकित है।

राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केन्द्र ने 1 जनवरी, 2016 से “डीएम—एडिक्शन मनोरोग” में एक नये विशिष्ट पाठ्यक्रम शुरू करते हुए क्लीनिक सेवाओं, शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में आगामी प्रगति की है। भर्ती की प्रथम बैच एक कठोर प्रणाली में माध्यम से जैसाकि एम्स के अन्य शैक्षिक पाठ्यक्रमों में होता है भर्ती का प्रथम बैच पहले ही भर्ती कर लिया गया है।

नैदानिक सेवाओं, नये ओपीडी पंजीकरण से सबैधित, ओपीडी में आनेवाले आंगुतक, मरीजों का प्रवेश और रिहाई का अब पूर्णतः कम्प्यूटर के द्वारा किया जाता है और हर दिन सेवा का आगे ओर विस्तार करने की प्रक्रिया की आवश्यकता है। टैलीमेडिसिन एकक का कार्य चालू है और इसका संचालन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और निर्भरता के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए वेबसाइट भी शीघ्र ही शुरू की जाने वाली है।

### 13-6 u'lk&eDr vks mi pkj dHkz eukpfdr k foHk] i ht hvkbZ evkj] pMx<A

नशा—मुक्ति और उपचार केन्द्र (डीडीटीसी), पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ की स्थापना 1988 में की गई थी। वर्तमान में रोगी अनुभाग, बाहरी मरीज विभाग और पंजाब राज्य में खरड़, बूथगढ़ और रोपड़ में सामुदायिक क्लीनिक में 20 बैठ हैं। वर्ष 2015 में, पंजाब में रोपड़ जिले में शहरी पहुँच से दूर एक क्लीनिक शुरू किया गया था।

डीडीटीसी, अनुवर्ती रोगी सेवा में लगभग 12059 नये मरीज देखे गये और उनकी सहायता की गई तथा 251 मरीजों को बॉर्ड में भर्ती किया गया। लगभग 14244 मरीजों को बॉर्ड में भर्ती किया गया। लगभग 4294 मरीजों के लिए प्रयोगशाला सेवाएं प्रदान की गई थी। मरीजों के कुछ 325 योग सत्र और 350 आर्ट ऑफ लिविंग सत्र भी प्रदान किये गये थे। सामुदायिक सेवाओं में 15 शिविरों का आयोजन किया गया और कुल 885 मरीजों को देखा गया। स्वास्थ्य व्यावसायिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों शुरू किए गए हैं। शराब, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और निर्भरता से संबंधित क्षेत्रों में कई मूल अनुसंधान किए गए। डीडीटीसी किये गये अनुसंधान कार्य से लगभग 25 शोध प्रकाशित किये गये और वे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित हुए थे। जनवरी, 2014 से पोस्ट-डॉक्टरेट पाठ्यक्रम यथा—एडिक्शन मनोरोग में डीएम पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। यह देश में इस तरह का प्रथम पाठ्यक्रम है जो नशा—मुक्ति विशेषज्ञों का एक नया कैडर बनाएगा।

### 13-7 *I vj QkV , fM'ku eFMl u] us'kuy b&LV; ; v kO eVy gYFk , M U jks l kbA ] cxyq*

13-7-1 सेंटर फॉर एडिक्शन मेडिसिन (सीएएम) में सप्ताह में 3 दिन बाहरी रोगी सेवाएं तथा 24x7 की आंतरिक रोगी तथा आपकालीन की एकीकृत चिकित्सा सेवाएं हैं। सीएएम, में व्यक्ति और परिवार मूल्यांकन, व्यक्तिगत अनुरूप उपचार जिसमें निकासी और कार्विंग का फार्माक्लोजिकल, रिलेप्स की लंबे अवधि की रोकथाम, व्यक्तिगत और सामूहिक परामर्श, परिवारिक परामर्श तथा गहन देखरेख एकीकृत उपचार कार्यक्रम शामिल है।

सीएएम ने अप्रैल से नवम्बर 2015 के 8 माह की अवधि के दौरान 2086 नए रोगी तथा बाहरी रोगी फॉलोअप में 8643 रोगी रजिस्टर किए। आंतरिक रोगी उपचार के लिए उक्त अवधि के दौरान आंतरिक रोगी वार्ड में सीएएम में 739 रोगी को भर्ती किया गया।

सेंटर फॉर एडिक्शन मेडिसिन की विष विज्ञान प्रयोगशाला ने उक्त अवधि के दौरान 8539 जांच किए जिसमें दुरुपयोग

और परीक्षण संबंधी अन्य मादक पदार्थ के परीक्षण शामिल हैं।

निम्हांस बैंगलुरु में, मनोचिकित्सकों, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्त्ता, मनोवैज्ञानिक फॉलो—अप सलाहकार, सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्त्ता, योग चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, तम्बाकू नशा उन्मूलन क्लीनिक तथा विष—विज्ञान प्रयोगशाला की एक बहु विषयक टीम बनाई गई है। टीम के द्वारा निम्नानुसार की गई कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण है।

### 13-7-2 *QkV&vi @n&kj&k mijkr i jke' kkrk Vhe*

फॉलो—अप परामर्शदाता की टीम, ओपीडी में भाग लेने के अतिरिक्त फोन कॉल करने, फॉलो—अप सलाह के लिए रोगियों को एसएमएस करना तथा उन रोगियों के घर पर मिलने जाना जो 3 माह से अधिक समय से फालो—अप के लिए नहीं आ रहे हैं। इस अवधि के दौरान मरीजों को कुल 9307 फोन और लगभग 15745 एसएमएस किए गए। उक्त अवधि के दौरान सलाहकारों ने 205 घरों के दौरे किए हैं। फालो—अप के लिए आ रहे रोगियों में लगभग 11% की वृद्धि हुई है तथा सलाहकारों द्वारा कॉल तथा एसएमएस भेजने शुरू करने के उपरात से 40 प्रतिशत रोगियों की स्थिति के बारे में पता चल जाता है।

### 13-7-3 *op&yu v/; ; u d&h& fuEgk*

वीकेएन निम्हांस ईको का मिशन व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम लागत की आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा जोड़ते हुए कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना और समन्वित गुणवत्ता की देखरेख प्रदान करना है। इस साप्ताहिक टैली—स्वास्थ्य सत्र के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य देख—रेख पेशेवर, सेंटर फॉर एडिक्शन मेडिसिन की बहु—विषयक टीम से जुड़ सकते हैं।

बहु वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित चल रहीं साप्ताहिक निम्हांस ईको टैली स्वास्थ्य सत्र में लर्निंग आधारित देनों मामले (अर्थात् समुदाय चिकित्सक द्वारा केस का प्रस्तुतीकरण या "हब (निम्हांस) में बहु विषयक विशेषज्ञ टीम द्वारा निर्देशित प्रैक्टिस के साथ "प्रवक्ता") तथा हब

विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा पद सत्र के घटक शामिल है। डॉक्टरों भी नैदानिकी के मामले प्रस्तुत करते हैं तथा बहु विषयक टीम तथा ऐसे साथियों जिन्होंने एक साथ लॉगिन किया है, से मानक प्रबंधन से संबंधित स्पष्टीकरण मांगते हैं। केस प्रबंधन के निर्देशित प्रैविट्स चिकित्सकों का आत्म विश्वास को मजबूत और कौशल को बढ़ाता है। रोगियों को भी बड़े शहरों में स्थित दूरस्थ स्पेशलिटी केन्द्र में बिना यात्रा किए उनकी अपने समुदाय में अच्छा इलाज मिलता है। लाइव (तुल्यकालिक) सत्र भाग लेने वाले चिकित्सकों के लिए ई-लर्निंग (अतुल्यकालिक) मॉड्यूल प्रणम—पत्र के साथ एकीकृत है।

पिछले 6 महीनों में भारत तथा पड़ोसी देशों से 500 स्वास्थ्य पेशेवर ने 30 ऑनलाइन लाइव टेली—स्वास्थ्य सत्रों में भाग लिया। औसत, प्रत्येक सत्र में 30 प्रवक्ताओं ने भाग लिया। इस साप्ताहिक सत्र में लगभग 2000 मानक घंटों की प्रतिभागिता थी। 50 जटिल स्वास्थ्य विकारों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्रवक्ताओं के साथ सह—प्रबंधित किया गया। प्रतिभागियों के बीच निदान, उपचार आधारित सबूत का निर्णय तथा जटिलताओं से निपटने के लिए क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 100 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑन लाइन माड़्यूल्स पूरा करने के लिए ई—प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध रिकार्ड किए गए शिक्षाप्रद वीडियों को देखने के समय के 10000 मिनटों के साथ 2556 दर्शकों द्वारा इसके देखा गया।

### 13-8 efMdy LVkj 1 axBu ¼ e, 1 vkl/2

मेडिकल स्टोर संगठन एक सदी पुराना संगठन है जिसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, कर्नाल, नई दिल्ली, हैदराबाद तथा गुवाहाटी में स्थित 7 मेडिकल स्टोर डिपो स्थित हैं।

मेडिकल स्टोर संगठन का मुख्य कार्य अपने 7 जीएमएसडी के द्वारा लगभग 1800 इनडेंटर्स के लिए दवाओं को खरीदना, नेशनल कार्यक्रम जैसे टी.बी. परिवार कल्याण कार्यक्रम, एंटी कुष्ठ रोग दवाएं, एनवीबीडीसीपी, एनएलईपी, महामारी की तैयारी (इंफ्लूएंजा ए, एच1एन1) तथा इबोला के लिए पीपीई किट आदि के लिए कोल्ड चेन टीके की दवाओं का भंडारण तथा वितरण भी करता है।

मेडिकल स्टोर संगठन ने नेपाल के भूकंप के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की तत्काल चिकित्सा राहत की खरीद तथा आपूर्ति के लिए, क्वार्ड्रिवेलेन्ट मेनिंग्कोक्सल मेनिन्जाइटिस टीको (आरएमएमवी); हज यात्रियों के लिए स्वाइन इंफ्लूएंजा टीके (एचआईवी); सीआरआई, कसौली के लिए पीत ज्वर के टीके; तथा वर्ष 2015–16 के दौरान एनवीबीडीसीपी के लिए एक्ट—एल तथा मिल्टीफोसाइन कैप्सूल की व्यवस्था भी की थी।

मेडिकल स्टोर संगठन/सीजीएचएस तथा चैन्नई के सरकारी अस्पतालों के लिए 1165 मॉड्यूल्स की 2000 फार्मूलेशन युक्त नई संयुक्त जेनरिक ड्रग फार्मूलरी को भी अंतिम रूप दिया गया।

